न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

RCMS No.—2016/00216

अपील संख्याः 97 / 2016

रमेश हरित पुत्र श्री किशनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी 103, सी डी डी ए फ्लेटस पी.के. –2 सैक्टर–6 द्वारका नई दिल्ली जरिये मुख्त्यारआम रविन्द्र कुमार पुत्र आर. एस.शर्मा निवासी एफ–102, गली नम्बर–5, कृष्णा नगर सफदरजंग एन्कलेव नई दिल्ली।

...अपीलांटस

बनाम

1. लादूराम
2. लक्ष्मीनारायण
3. हनुमानसहाय

   पुत्रान श्री मूलचन्द जाति जाट, निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी, जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार आंधी जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार आंधी बाबत नामान्तकरण संख्या 404 ग्राम आंधी दिनांक 26.12.2012 अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री अरविन्द चन्द्रपाल शर्मा एवं जगदीश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 22.01.2019

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार, आंधी के निर्णय दिनांक 26.12.2012 जिससे नामान्तरकरण संख्या 404 ग्राम फूटोलाव, तहसील जमवारामगढ अपीलांट के नाम स्वीकार नहीं किया जाकार खारिज किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.01. 2014 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। दिनांक 26.02.2014 को रेस्पाडेन्ट संख्या–1 एवं 3 स्वयं उपस्थित हुए उसके उपरान्त अनुपस्थित रहे। रेस्पाडेन्ट संख्या–4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अपीलांट अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आंधी द्वारा पारित

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निर्णय दिनांक 26.12.2012 नामान्तकरण संख्या 404 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम फूटोलाव, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण अपीलांट के नाम तस्दीक नहीं किया जाकर खारिज किया गया। मुताबिक अपीलाधीन भूमि के खातेदारगणों रेस्पा0 संख्या एक लगायत तीन द्वारा अपने हिस्से की जमीन अपीलांट के नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2012 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा गया। लेकिन हल्का गिरदावर द्वारा भूमि को बेरी आयोग से प्रभावित होने की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार आंधी द्वारा बिना जांच किए, अपीलांट को बिना सुनवाई किये नामान्तकरण खारिज कर दिया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में अति0 कलक्टर जयपुर द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16.04.2013 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 404 पर उप तहसीलदार आंधी, तहसील जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2012 निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया एवं हल्का गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार अपीलाधीन भूमि बेरी आयोग से प्रभावित होने पर उप तहसीलदार आंधी द्वारा नामान्तकरण खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुार नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 404 ग्राम फूटोलाव, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 3 की भूमि का अपीलांट के पक्ष में भरा जाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.08.2012 को हल्का गिरदावर द्वारा अपीलाधीन भूमि बेरी आयोग से प्रभावित होने से नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है, की रिपोर्ट की गयी। जिसके क्रम में दिनांक 26.12.2012 को उप तहसीलदार आंधी द्वारा रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू.अ.निरीक्षक के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया गया। प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तकरण पर हल्का गिरदावर की रिपोर्ट के चार माह पश्चात उप तहसीलदार आंधी द्वारा बिना जांच आदेश दिनांक 26.12.12 पारित किया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जो न्यायोचित नहीं है एवं प्रकरण में अपीलांट को नोटिस दिया जाना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, आंधी द्वारा नामान्तकरण संख्या 404 वाके ग्राम फूटोलाव पर पारित निर्णय दिनांक 26.12.2012 को निरस्त करते हुये पत्रावली तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट की सुनवाई की जाकर, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, यदि किसी न्यायालय से स्थगन आदेश आदि है तो उसे मध्यनजर रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर